मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय
भोपाल

दूरभाषः– 2523029–2523048

–वाहन विक्रय निविदा–

निविदा क्रमाक 11790 वि.स / वाहन / 25 भोपाल,दिनांक 20 जून 2025

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के निम्नांकित छः वाहनों के विक्रय हेतु सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	वाहन जहॉं रखा है।
1	एम.पी.02-ए.डी-5511	(इनोवा)	2016	म.प्र विधानसभा सचिवालय
2	एम.पी.02-ए.डी-3333	(इनोवा)	2014	म.प्र विधानसभा सचिवालय
3	एम.पी.02-ए.डी-4102	(बोलेरो)	2012	म.प्र विधानसभा सचिवालय
4	एम.पी.02-ए.व्ही-5447	(इनोवा)	2014	म.प्र विधानसभा सचिवालय
5	एम.पी.02-ए.व्ही-3762	(टाटा सफारी)	2011	म.प्र विधानसभा सचिवालय
6	एम.पी.02-ए.व्ही-3763	(इण्डिगों सी.एस)	2011	म.प्र विधानसभा सचिवालय

वाहनों का अवलोकन कार्यालय दिवसों में 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक विधान सभा भवन परिसर में किया जा सकता है। निविदा फार्म एवं निविदा शर्तों का प्रपत्र विधान सभा सचिवालय के प्रवेश पत्र कार्यालय से दिनांक **07 जुलाई 2025** तक राशि रूपयें 100/– (अक्षरी राशि रूपये एक सौ) मात्र जमा कर अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं सचिवालय के प्रवेश पत्र कार्यालय में दिनांक **07 जुलाई 2025** को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदा बाक्स में अमानत राशि रूपयें 10,000/– के राष्ट्रीकृत बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा की जावेंगी। निविदाऐं यथा–संभव उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में विधान सभा समिति कक्ष क्रमांक–02 में खोली जायेंगी। निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय को सुरक्षित होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विधान सभा की बेबसाइट **https://mpvidhansabha.nic.in** पर भी देखी जा सकती है ।

हरीश कुमार श्रीवास,
प्रशासकीय अधिकारी,
(अवर सचिव)
मध्यप्रदेश विधानसभा,

मध्यप्रदेश विधानसभा
सचिवालय

//निविदा फार्म//

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल।

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.. निविदाकर्ता द्वारा दिनांक ....को विक्रय होने वाली वाहन के लिये निविदा प्रस्तुत करता/ करती हूँ विवरण इस प्रकार हैः—

1.	पूरा नाम	....
2.	पिता/पति का नाम	....
3.	अस्थाई पता	....
4.	स्थाई पता	....
5.	फोटो युक्त पहचान पत्र का विवरण	....
6.	दूरभाष/ मोबाईल नम्बर	....
7.	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर जिसके लिये निविदा भरी गयी है	....
8.	निविदा राशिः—	....
	(क) अंको में	....
	(ख) शब्दों में	....
9.	धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) का विवरण	
	(क) बैंक ड्राफ्ट, नं. दिनांक	....
	(ख) संबंधित बैंक का नाम जहाँ से ड्राफ्ट, जारी हुआ है।	....

मैंने निविदा फार्म के पीछे दर्शाये गये सम्पूर्ण नियम शर्तो का विवेकपूर्ण अध्ययन कर लिया है, जो मुझे मान्य एवं स्वीकार्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम..

दिनांक

नियम एवं शर्तो का उल्लेख एवं प्रमाण पत्र

मै प्रमाणित करता/करती हूॅ किः–

1. निविदा फार्म पर किये गये हस्ताक्षर मेरे स्वयं के हैं।

2. निविदा फार्म पर दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूॅगा/ रहूॅगी।

3. विक्रय कार्यवाही में यदि मेरी निविदा स्वीकृत हुई तो सूचना के 07 दिन के अन्दर स्वीकृत निविदा की रकम का पूरा भुगतान करूंगा/करूंगी तथा वाहन को 03 दिवस में अपने नाम ट्रांसफर करवाने के पश्चात् वाहन प्राप्त करूंगा/करूंगी।

4. सूचना प्राप्ति के 07 दिन के भीतर निविदा की पूरी रकम (राशि) यदि मैं जमा नहीं करता/करती हूॅ तो मेरी पूरी धरोहर राशि राजसात कर ली जावे। मैं इसकी सहमति देता/देती हूॅ।

5. वाहन विक्रय के संबंध में म0प्र0विधान सभा सचिवालय द्वारा लिया गया निर्णय मेरे लिये मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

6. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रहेगा, यह मुझे स्वीकार है।

7. वाहन हेतु मेरी निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के ट्रांसफर पर होने वाले समस्त व्यय (टैक्स, पंजीयन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क एवं इंश्योरेंश) से संबंधित सम्पूर्ण व्यय का वहन मैं स्वयं करूंगा/करूंगी।

8. म0प्र0विधानसभा सचिवालय से वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात विधानसभा परिसर से बाहर यदि कोई घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदा संबंधी शर्ते

1. निविदा संबंधी फार्म दिनांक 07 जुलाई 2025 को अपरान्ह 01.00 बजे तक ही विक्रय जायेंगे तथा निविदायें दिनांक 07 जुलाई 2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सचिवालय की वरिष्ठ क्रय समिति द्वारा समिति कक्ष क्रमांक–02 में अपराह्न 03.00बजे खोली जायेगी।

2. प्रत्येक वाहन के लिये धरोहर राशि रूपये 10,000/– (अक्षरी राशि रूपये दस हजार) मात्र की राशि निविदा के साथ प्रेषित की जायेगी। राशि बैंक ड्राफ्ट, के जरिये प्रमुख सचिव विधानसभा के नाम देय होगी। इस जमा राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट, केवल राष्ट्रीकृत बैंकों के ही स्वीकार किये जायेंगे।

3. क्रय किये जाने वाले वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय प्रतिभूति की राशि समायोजित की जायेगी। निविदा स्वीकार होने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान सूचना के सात दिन के भीतर स्वीकृत निविदाकार को करना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात करली जायेगी। निविदा राशि शब्दों व अंको में भरी जाना आवश्यक होगा। अपूर्ण निविदायें मान्य नहीं होगी।

4. विक्रय किये जाने वाले वाहनों पर विक्रय कर पृथक से देय नहीं होगा।

5. निविदा लिफाफे पर वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा। अपूर्ण आवेदन व निविदा फार्म मान्य नहीं होंगे। विक्रय के लिये म0प्र0 विधान सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा। धरोहर की राशि विक्रय की कार्यवाही सम्पादित होने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्राप्त करना होगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी। उपर्युक्त शर्तो के अधीन इच्छुक खरीददार व्यक्ति समयावधि में सभी औपचारिकताओं के साथ निविदा प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 3488/स.परि./2000, भोपाल,दिनांक 27.05.2010 के अनुसार वाहन सौंपते समय क्रेता को वाहन अपने नाम ट्रांसफर कराने के पश्चात् ही क्रेता को अधिपत्य दिया जावेगा ।

7. इस सचिवालय से विक्रय किये गये निविदा फार्म ही मान्य होंगे।

प्रशासकीय अधिकारी
(अवर सचिव)